करने के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) आर्थिक व्यवहार्यता ;

(2) प्रबन्ध सम्बन्धी योजना;

(3) पर्याप्त आवास की उपलब्धता ;

(4) निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक ;

(5) शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए सुविधाएं।

(ग) खण्ड 5 के अन्तर्गत, उचित प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन सहित मान्यता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति अधिनियम व नियमों के अनुकूल प्रबन्ध योजना तैयार करती है । तथापि, अल्पसंख्यकों के स्कूलों के लिए सक्षम प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(घ)(1) खण्ड 8 के अन्तर्गत, प्रशासक को भर्ती के लिए योग्यताओं तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है । खण्ड 10 (1) के अन्तर्गत, प्राइवेट स्कूल के किसी कर्मचारी का वेतन, पेंशन इत्यादि सरकारी शिक्षकों से कम नहीं हो सकता है।

(2) खंड 8(2) के अन्तर्गत, निदेशक की पूर्व अनुमति को छोड़कर किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी को बर्खास्त, हटाया या पद श्रेणी में छोटा नहीं किया जा सकता है । उपखंड (4) के अंतर्गत निलम्बन के लिए निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य है ।

(ङ) खंड 9 के अन्तर्गत, दिल्ली प्रशासन प्राइवेट स्कूलों में सभी कर्मचारियों के लिए आचार-संहिता निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(च) खंड 11(1) के अन्तर्गत, प्रशासक प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारियों की अधिनियम के अधीन दायर की गयी अपीलों को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने के लिए प्राधिकृत है ।

(छ) खंड 16 के अंतर्गत, दिल्ली प्रशासन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश को नियमित करने के लिए नियमों को बनाने के लिए प्राधिकृत है । नियम 145 मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश विनियमित करता है । इसमें यह जरूरी होता है कि दाखिला प्रवेश परीक्षा पर आधारित हो अथवा किसी विशेष कक्षा या स्कूल के परीक्षा-फल पर आधारित होना चाहिये ।

(ज) खंड 17(3) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त विद्यालय के प्रबंधक को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पूर्व निदेशक के पास स्कूल द्वारा लगाये गये शुल्कों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिये और बिना निदेशक के पूर्व अनुमोदन के ऐसा कोई भी स्कूल विवरण में निर्दिष्ट शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता है ।

(झ) खंड 18(3) में अपेक्षित है कि प्रत्येक मान्यता-प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूल एक स्कूल कोष रखे जिसमें सभी आय जमा की जाये और अनुमानतः खर्च इसी कोष से किए जाएंगे । खंड 18(5) में यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय को निदेशक के समक्ष लेखा-परीक्षित वित्तीय और अन्य विवरणिकाएं जैसा निर्धारित किया गया हो, प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ञ) खंड 19(1) में यह अपेक्षित है कि लोक परीक्षा के लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को ऐसी परीक्षाएं संचालित करने वाले एक या एक से अधिक बोर्डों के साथ सम्बद्ध होना चाहिये ।

(ट) खंड 20 में यह अपेक्षित है कि जहां स्कूल अधिनियम या नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्य के निष्पादन की उपेक्षा करता है, प्रबंध को 3 वर्षों के लिए अपने अधिकार में लिया जा सकता है जिसे 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है । फिर भी खंड 21 में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक स्कूल को अपने अधिकार में नहीं लिया जा सकता ।

(ठ) खंड 24(1) दिल्ली प्रशासन को प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय को वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(ड) खंड 27 यह निर्दिष्ट करता है कि यदि मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय का प्रबंधक न्यायाधिकरण के आदेशों को नहीं मानता है या खंड 20 के अन्तर्गत जब प्रबंध को अपने अधिकार में ले लिया जाता है और वह प्रशासक को सम्पत्ति नहीं देता है, तो उसे 3 महीने की कैद या उस पर 1000 रु. का दण्ड या दोनों लगाये जा सकते हैं।

Centralisation of admission process in Delhi University

38. SHRI KAPIL VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state-

(a) whether any demand has been made for centralisation of admission process by the Delhi University to remove malpractices and corruption in
[admissions; and

(b) if so, what is Government's re action in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) According to the information furnished by the University of Delhi, various Students' Organisations have made different suggestions regarding admission problems. One of these relates to centralised admissions. The ^ University plans to hold discussions in various fora with a. view to further streamlining its admission procedures. Whenever complaints regarding admissions are received, Government draws the attention of the University and requests it to take appropriate remedial action.

Encroachment of **protected monument by DDA and MCD in Haus Khas, Delhi**

39. SHRI ISH DUTT YADAV:

SHRl SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the blatant encroachments taking place around the protected monu ment of Haus Khas causing irrepara ble damage to the monument due to the building activities of DDA, Muni cipal Corporation and private buil ders in violation ot the Ancient Monu ments and Archaeological Sites **and** Remains Act of 1958; and

(b) if so, what action has been taken/proposed to be taken by Go vernment in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) and (b) The Government is aware of the construction activities at Haus Khas in the vicinity of the monument affecting its environs and monuments itsel*. In respect of the construction falling within the protected limits of the monument action has been initiated to deal with violation of the statutory provisions of the Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Act 1958. Possibility of acquiring land and buildings in the area around the Hauz Khas complex are being explored for the removal of encroachment and the Delhi Administration has been requested to issue instructions to the Municipal and other authorities not to permit construction of new buildings or enlargement/addition in the existing building in the vicinity of the monument-complex without consulting the Archaeological Survey of India.